"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 133] रायपुर, बुधवार, दिनांक 6 अप्रैल 2016— चैत्र 17, शक 1938

परिवहन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 अप्रैल 2016

आदेश

क्रमांक एफ 5-2/आठ-परि./2016 . — यत:, राज्य के सभी जिला परिवहन कार्यालयों में, डिजीटल प्ररूप-7 में वाहन चालक अनुज्ञप्ति जारी करने हेतु सुविधा उपलब्ध है;

और यत:, राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि छत्तीसगढ़ राज्य में जारी होने वाले प्रत्येक वाहन चालक अनुज्ञप्ति को, जनसुविधा के लिए प्ररूप-6 अथवा नान-डिजीटल प्लास्टिक कार्ड के स्थान पर डिजीटल प्ररूप-7 में जारी किया जाये;

अतएव, केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 16 के उप-नियम (2) एवं (3) के अनुसार, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस आदेश के द्वारा यह अनिवार्य करती है कि, -

(क) प्ररूप-6 एवं नान डिजीटल प्ररूप-7 में जारी वाहन चालक अनुज्ञप्ति के स्थान पर डिजीटल प्ररूप-7 में वाहन चालक अनुज्ञप्ति जारी किया जाये;

(ख) प्ररूप-6 एवं नान डिजीटल प्ररूप-7 में जारी वाहन चालक अनुज्ञप्ति के धारक द्वारा, दिनांक 30-06-2016 तक संबंधित जिला परिवहन कार्यालयों में अपनी अनुज्ञप्ति को संपरिवर्तित कराया जायेगा;

(ग) प्ररूप-सात में जारी होने वाले एवं पुन: जारी होने वाले प्रत्येक वाहन चालक अनुज्ञप्ति के लिये, शुल्क रुपये 150/- देय होगा; तथा

(घ) प्ररूप-6 एवं नान डिजीटल प्ररूप-7 में पूर्व में जारी किये गये वाहन चालक अनुज्ञप्ति, दिनांक 30-06-2016 के पश्चात् अविधिमान्य माने जायेंगे.

यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगा.

No. F 5-2/viii-Trans/2016. — Whereas, the facilities for the issue of Motor Driving License in digital Form-7 is available in all the District Transport Offices in the State;

And whereas, the State Governement has decided that for public convenience, each driving license to be issued in the State of Chhattisgarh shall be issued in digital Form-7 in place of Form-6 or non-digital plastic cards;

Now therefore, in accordance with sub-rule (2) and (3) of rule 16 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989, the State Government, hereby makes it compulsory by this order,-

(a) to issue driving license in digital Form-7 in place of driving license issued in Form-6 and non-digital Form-7;

(b) that holder of the driving license in Form-6 and non-digital Form-7 shall be able to convert their license in concerned District Transport Office till 30-06-2016;

(c) for issue and re-issue of each driving license in Form-7 a fee of Rupees 150/- shall be payable; and

(d) that the driving license previously issued in Form-6 and non-digital Form-7 shall be deemed to be invalid after 30-06-2016.

This order shall come into force with immediate effect.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार धुर्वे, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.